

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
विविध बैंक प्रकरण संख्या 06 / 2025(GCMS : 2025/6)

Vastu Housing Finance Corporation Limited, First floor, marudhar Plaza,
F-300, Shyam Nagar, New Sanganer Road, Opposite Metro Pillar 102,
Sodala , Jaipur, Rajasthan

बनाम

1. Mrs. Sharda

Resident Address : Ward No. 8, Netewala, Near Bijali Board,
Sriganganagar, Rajasthan – 335001

Property Address : Pataa No. 97, Book No.467, Village Netewala,
Tehsil or District Sriganganagar, Rajasthan – 335001

2. Mr. Askr Ali

Resident Address : Ward No. 8, Netewala, Near Bijali Board,
Sriganganagar, Rajasthan – 335001


Permanent Address : Netewala, Near Bijali Board, Sriganganagar,
Rajasthan-335001

Office Address : 51 – LNP Manjhu Wala, Sriganganagar, Rajasthan-
335001

Property Address : Pataa No. 97, Book No.467, Village Netewala,
Tehsil or District Sriganganagar, Rajasthan – 335001

05.02.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री दलीप गोदारा और कमल जोशी ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 07.01.2025 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी शारदा एवं असकर अली को ऋण सुविधा के रूप में 8.00/- लाख रुपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 17.05.2023 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 24.08.2024 को 9,66,792/- रुपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी असकर अली द्वारा बंधक रखी अपनी आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 97, बुक संख्या 467, ग्राम पंचायत नेतेवाला, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर , राजस्थान-335001, जिसमें भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है।


जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिसका कुल क्षेत्रफल 2200 वर्गफुट अर्थात 244 वर्गगज है, (अवासीय सम्पत्ति की चारों सीमाएं : उत्तर में आम-सड़क, दक्षिण में श्री अनिल, पूर्व में श्री मोहम्मद अली एवं पश्चिम में श्री बृजलाल), का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।


मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण शारदा एवं असकर अली को ऋण सुविधा के रूप में 8.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये आठ लाख रुपये मात्र) की स्वीकृति दिनांक 17.05.2023 को प्रदान की थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी असकर अली ने अपनी आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 97, बुक संख्या 467, ग्राम पंचायत नेतेवाला, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान-335001, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2200 वर्गफुट अर्थात 244 वर्गगज है, (अवासीय सम्पत्ति की चारों सीमाएं : उत्तर में आम-सड़क, दक्षिण में श्री अनिल, पूर्व में श्री मोहम्मद अली एवं पश्चिम में श्री बृजलाल), प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 10.01.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसके अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हुई है।


जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी असकर अली की सम्पत्ति पट्टा संख्या 97, बुक संख्या 467, ग्राम पंचायत नेतेवाला, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान-335001, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2200 वर्गफुट अर्थात 244 वर्गगज है, (अवासीय सम्पत्ति की चारों सीमाएं : उत्तर में आम-सड़क, दक्षिण में श्री अनिल, पूर्व में श्री मोहम्मद अली एवं पश्चिम में श्री बृजलाल), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।


जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 27.08.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 27.08.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 28.08.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हुए है अथवा नहीं?, का पता नहीं चलता है। इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) नोटिस अप्रार्थीगण की सम्पत्ति पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रेस एवं प्रातः अभिनन्द में दिनांक 14.09.2024 को प्रकाशित करवाये है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित


जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी असकर अली द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति पट्टा संख्या 97, बुक संख्या 467, ग्राम पंचायत नेतेवाला, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान-335001, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2200 वर्गफुट अर्थात् 244 वर्गगज है, (अवासीय सम्पत्ति की चारों सीमाएं : उत्तर में आम-सड़क, दक्षिण में श्री अनिल, पूर्व में श्री मोहम्मद अली एवं पश्चिम में श्री बृजलाल), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर